न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 21 / 2025	2025 / 109	10.02.2025	02.04.2025

1– भूपेश पुत्र नरेश कुमार नाबालिग जर्ये सरप्ररस्त माता संतोष देवी पत्नी नरेश कुमार जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)
2– विक्रम सिंह पुत्र गब्दू जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 09.06.2023 ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री धर्मवीर बडजीवाल – वकील अपीलान्ट
02. श्री सतीश कुमार यादव – वकील रेस्पोडेन्ट

–: निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 72 निर्णय दिनांक 09.06.2023 ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 616 / 0.01 है0, 624 / 0.14 है0, 625 / 0.01 है0, 626 / 0.07 है0, 627 / 0.06 है0, 68 / 0.14 है0, किता 6 रकबा 0.43 वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर में स्थित है। उक्त आराजी के साबिक खसरा न0 520 / 0.14 है0, 527 / 0.14 है0, 528 / 0.06 है0, 529 / 0.08 है0, 530 / 0.14 है0 कुल किता 5 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमूद किये गये है। साबिक आराजी किता 5 रकबा 0.56 है0 आराजी विक्रमसिंह पुत्र गब्दू व संतोष देवी पत्नी नरेश कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसमें विक्रमसिंह का हिस्सा 1 / 12 व संतोष का हिस्सा 1 / 24 दर्ज रिकार्ड था। जिसमें विक्रमसिंह ने अपने 1 / 12 भाग व संतोष देवी ने अपने 1 / 24 भाग का बेचान का सौदा भूपेश पुत्र नरेश कुमार नाबालिग जर्ये सरप्ररस्त माता संतोष पत्नी नरेश कुमार जाति अहीर निवासी मंढा से जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा के दौनो से कुल 1 / 8 भाग दिनाक 16.12.2020 को किया गया तथा विक्रेता ने अपनी समस्त रकम प्राप्त कर ली थी, तथा मिन अपीलान्ट वक्त खरीद से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। मिन अपीलान्ट ने अपनी उक्त आराजी का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये आराजी के समस्त दस्तावेजात पटवारी हल्का खानपुर अहीर दे दिये थे। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का नामान्तकरण दर्ज नही किये जाने पर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा नामान्तकरण संख्या 72 दिनाक 09.06.2023 को दर्ज व मंजूर करते हुये विक्रेता विक्रमसिंह का हिस्सा 1 / 24 व संतोष देवी का हिस्सा 1 / 12 गलत दर्ज कर दिया गया जबकि विक्रेता विक्रमसिंह का हिस्सा 1 / 12 व संतोष देवी का हिस्सा 1 / 24 मुताबिक बयनामा दर्ज करना चाहिऐ था। मिन अपीलान्ट को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नही थी, मिन अपीलान्ट नाबालिग है, व अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की महिला है, जिसे राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने की कभी आवश्यकता नही हुई अब मिन अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड की नकल पटवारी हल्का से दिनाक 20.07.2024 को प्राप्त की तो राजस्व रिकार्ड का अवलोकन पर जानकारी में आया कि विक्रेता विक्रमसिंह का 1 / 24 भाग व संतोष देवी का हिस्सा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

सन्तोष

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/21/2025	2025/109	10.02.2025	02.04.2025

1– भूपेश पुत्र नरेश कुमार नाबालिग जर्ये सरप्ररस्त माता संतोष देवी पत्नी नरेश कुमार जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)
2– विकम सिंह पुत्र गब्दू जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 09.06.2023 ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री धर्मवीर बडजीवाल – वकील अपीलान्ट
02. श्री सतीश कुमार यादव – वकील रेस्पोडेन्ट

–: निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 72 निर्णय दिनांक 09.06.2023 ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 616/0.01 है0, 624/0.14 है0, 625/0.01 है0, 626/0.07 है0, 627/0.06 है0, 68/0.14 है0, किता 6 रकबा 0.43 वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर में स्थित है। उक्त आराजी के साबिक खसरा न0 520/0.14 है0, 527/0.14 है0, 528/0.06 है0, 529/0.08 है0, 530/0.14 है0 कुल किता 5 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमूद किये गये है। साबिक आराजी किता 5 रकबा 0.56 है0 आराजी विक्रमसिंह पुत्र गब्दू व संतोष देवी पत्नी नरेश कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसमें विक्रमसिंह का हिस्सा 1/12 व संतोष का हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड था। जिसमें विक्रमसिंह ने अपने 1/12 भाग व संतोष देवी ने अपने 1/24 भाग का बेचान का सौदा भूपेश पुत्र नरेश कुमार नाबालिग जर्ये सरप्ररस्त माता संतोष पत्नी नरेश कुमार जाति अहीर निवासी मंढा से जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा के दौनो से कुल 1/8 भाग दिनाक 16.12.2020 को किया गया तथा विकेता ने अपनी समस्त रकम प्राप्त कर ली थी, तथा मिन अपीलान्ट वक्त खरीद से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। मिन अपीलान्ट ने अपनी उक्त आराजी का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये आराजी के समस्त दस्तावेजात पटवारी हल्का खानपुर अहीर दे दिये थे। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का नामान्तकरण दर्ज नही किये जाने पर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा नामान्तकरण संख्या 72 दिनाक 09.06.2023 को दर्ज व मंजूर करते हुये विकेता विक्रमसिंह का हिस्सा 1/24 व संतोष देवी का हिस्सा 1/12 गलत दर्ज कर दिया गया जबकि विकेता विक्रमसिंह का हिस्सा 1/12 व संतोष देवी का हिस्सा 1/24 मुताबिक बयनामा दर्ज करना चाहिऐ था। मिन अपीलान्ट को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नही थी, मिन अपीलान्ट नाबालिग है, व अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की महिला है, जिसे राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने की कभी आवश्यकता नही हुई अब मिन अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड की नकल पटवारी हल्का से दिनाक 20.07.2024 को प्राप्त की तो राजस्व रिकार्ड का अवलोकन पर जानकारी में आया कि विकेता विक्रमसिंह का 1/24 भाग व संतोष देवी का हिस्सा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

1/12 दर्ज कर रखा है। जिस पर मिन अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने के लिये सर्म्पक किया तो पहलें राजस्व कर्मचारी राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने बाबत कहते रहे लेकिन अब दिनाक 05.08.2024 को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने से मना कर दिया जिस पर अविलम्ब पेश की गयी है, उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 20.07.2024 को हुई जिस पर मिन अपीलान्ट ने राजस्व कर्मचारियो से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने का निवेदन किया तो राजस्व कर्मचारियो ने दिनाक 30.07.2024 को रिकार्ड दुरूस्त करने से मना कर दिया। दिनाक 20.07.2024 से दिनाक 07.08.2024 तक का समय कन्डोन किया जाने योग्य है, इस हेतु अपील के साथ पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.06.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट वकत बहस उपस्थित नहीं हुए। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 72 निर्णय दिनांक 09.06.2023 ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 16.08.2024 को पेश की गयी है, जो करीब एक 1 वर्ष 2 माह पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.06.2023 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनाक 20.07.2024 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्रष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात विक्रमसिंह पुत्र गब्दू व संतोष देवी पत्नी नरेश कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसमें विक्रमसिंह का हिस्सा 1/12 व संतोष का हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड था। जिसमें विक्रमसिंह ने अपने 1/12 भाग व संतोष देवी ने अपने 1/24 भाग का बेचान का सौदा भूपेश पुत्र नरेश कुमार नाबालिग जर्ये सरप्ररस्त माता संतोष पत्नी नरेश कुमार जाति अहीर निवासी मंढा से जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा के दौनो से कुल 1/8 भाग दिनाक 16.12.2020 को किया गया तथा विकेता ने अपनी समस्त रकम प्राप्त कर ली थी, अपीलान्ट वक्त खरीद से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट ने अपनी आराजी का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये आराजी के समस्त दस्तावेजात पटवारी हल्का खानपुर अहीर को दे दिये थे। जिस पर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा नामान्तकरण संख्या 72 दिनाक 09.06.2023 को दर्ज व मंजूर करते हुये विकेता विक्रमसिंह का हिस्सा 1/24 व संतोष देवी का हिस्सा 1/12 गलत दर्ज कर दिया गया जबकि विकेता विक्रमसिंह का हिस्सा 1/12 व संतोष देवी का हिस्सा 1/24 मुताबिक बयनामा दर्ज करना चाहिऐ था। जो न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है, प्रकरण की पुनः जॉच कर अपीलान्टान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर मुताबिक बयनामा हिस्से की जॉच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.06.2023 नामान्तकरण संख्या 72 ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

सन्तोष